

राजस्थान विनियोग (सं. 3) विधेयक, 2017

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

वित्तीय वर्ष 2017-2018 की सेवाओं के लिए राज्य की समेकित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोजन को प्राधिकृत करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम.- इस अधिनियम का नाम राजस्थान विनियोग (सं. 3) अधिनियम, 2017 है।

2. वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिए राज्य की समेकित निधि में से 13,94,16,71,000/- रु. का दिया जाना.- अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट सेवाओं के संबंध में वित्तीय वर्ष 2017-2018 के दौरान, संदाय के अनुक्रम में आने वाले विभिन्न प्रभारों का चुकारा करने के लिए राज्य की समेकित निधि में से, अनुसूची के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक और कुल मिलाकर मात्र **13,94,16,71,000/- रु.** (एक हजार तीन सौ चौरानवे करोड़ सोलह लाख इकहत्तर हजार रुपये) की राशियाँ संदत्त और उपयोजित की जा सकेंगी।

3. विनियोजन.- इस अधिनियम द्वारा राज्य की समेकित निधि में से संदत्त और उपयोजित किये जाने के लिए प्राधिकृत की गयी राशियाँ उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में उल्लिखित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जायेंगी।

(Authorised English Version)

CONFIDENTIAL
Bill No. 36 of 2017

THE RAJASTHAN APPROPRIATION (NO. 3) BILL, 2017
(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A
Bill

to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State for the services of the financial year 2017-2018.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-eighth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title.- This Act may be called the Rajasthan Appropriation (No. 3) Act, 2017.

2. Issue of Rs. 13,94,16,71,000/- out of the Consolidated Fund of the State for the financial year 2017-2018.- From and out of the Consolidated Fund of the State there may be paid and applied the sums not exceeding those specified in Column 2 of the Schedule and amounting in the aggregate to the sums of **Rs. 13,94,16,71,000/-** (Rupees One thousand Three hundred Ninty Four crore Sixteen lakh Seventy One thousand) only towards defraying the several charges which will come in course of payment during the financial year 2017-2018 in respect of the services specified in Column 1 of the Schedule.

3. Appropriation.- The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State by this Act shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said year.

अनुसूची
THE SCHEDULE

वर्ष 2017-2018 के लिये अनुपूरक विनियोगों और अनुदानों के लिये मांगों की अनुसूची
(प्रथम संकलन)

(SCHEDULE OF SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS AND APPROPRIATIONS FOR THE YEAR 2017-2018)(First Batch)

सेवाएं और प्रयोजन Services and Purposes	(देखिये धारा 2 और 3) (See Section 2 and 3)		(रुपये सहस्र में) (Rupees in thousand)		योग Total
	अनुपूरक विनियोग राशि जो निम्नलिखित से अधिक नहीं है Supplementary Appropriation not exceeding				
	दत्तमत Voted		प्रभूत Charged		
	राजस्व Revenue	पूँजी Capital	राजस्व Revenue	पूँजी Capital	
1	2				
समेकित निधि					
Consolidated Funds					
(प्रभूत व्यय)					
Charged Expenditure					
2051. लोक सेवा आयोग Public Service Commission	5,00	..	5,00
योग (Total)	5,00	..	5,00
अनुदानों के लिये मांगे					
Demands for Grants					
मांग संख्या - 4					
(जिला प्रशासन)					
2053. जिला प्रशासन District Administration	1,17	..	1,17
योग (Total)	1,17	..	1,17
मांग संख्या - 6					
(न्याय प्रशासन)					
2014. न्याय प्रशासन Administration of Justice	35,47,23	..	30,90,00	..	66,37,23
योग (Total)	35,47,23	..	30,90,00	..	66,37,23
मांग संख्या - 8					
(राजस्व)					
2029. भू-राजस्व Land Revenue	15	..	15
योग (Total)	15	..	15

अनुसूची
THE SCHEDULE

वर्ष 2017-2018 के लिये अनुपूरक विनियोगों और अनुदानों के लिये मांगों की अनुसूची
(प्रथम संकलन)

(SCHEDULE OF SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS AND APPROPRIATIONS FOR THE YEAR 2017-2018)(First Batch)

सेवाएं और प्रयोजन Services and Purposes	(देखिये धारा 2 और 3) (See Section 2 and 3)		(रुपये सहस्र में) (Rupees in thousand)		योग Total
	अनुपूरक विनियोग राशि जो निम्नलिखित से अधिक नहीं है Supplementary Appropriation not exceeding				
	दत्तमत Voted		प्रभूत Charged		
	राजस्व Revenue	पूँजी Capital	राजस्व Revenue	पूँजी Capital	
1	2				
मांग संख्या - 12					
(अन्य कर)					
2030. स्टाम्प तथा पंजीकरण Stamps and Registration	2,78	..	2,78
2041. वाहन कर Taxes on Vehicles	1,52	..	1,52
योग (Total)	4,30	..	4,30
मांग संख्या - 13					
(आबकारी)					
2039. राज्य उत्पाद शुल्क State Excise	1	1
योग (Total)	1	1
मांग संख्या - 14					
(बिक्री कर)					
2040. बिक्री, व्यापार आदि पर कर Taxes on Sales, Trade etc.	1	..	88	..	89
2043. राज्य वस्तु एवं सेवा कर पर संग्रहण प्रभार State Goods and Services Tax	61	..	4	..	65
4047. अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय Capital Outlay on other Fiscal Services	..	2	2
योग (Total)	62	2	92	..	1,56
मांग संख्या - 16					
(पुलिस)					
2055. पुलिस Police	13,14	..	13,14
योग (Total)	13,14	..	13,14

अनुसूची
THE SCHEDULE

वर्ष 2017-2018 के लिये अनुपूरक विनियोगों और अनुदानों के लिये मांगों की अनुसूची
(प्रथम संकलन)

(SCHEDULE OF SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS AND APPROPRIATIONS FOR THE YEAR 2017-2018)(First Batch)

सेवाएं और प्रयोजन Services and Purposes	अनुपूरक विनियोग राशि जो निम्नलिखित से अधिक नहीं है Supplementary Appropriation not exceeding				योग Total
	दत्तमत Voted		प्रभूत Charged		
	राजस्व Revenue	पूँजी Capital	राजस्व Revenue	पूँजी Capital	
	1	2	3	4	
(देखिये धारा 2 और 3) (See Section 2 and 3)					
(रुपये सहस्र में) (Rupees in thousand)					
मांग संख्या - 18					
(जन सम्पर्क)					
2220. सूचना तथा प्रचार Information and Publicity	1	..	13	..	14
योग (Total)	1	..	13	..	14
मांग संख्या - 19					
(लोक निर्माण कार्य)					
2059. लोक निर्माण कार्य Public Works	4,61	..	4,61
4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय Capital Outlay on Public Works	..	1	1
योग (Total)	..	1	4,61	..	4,62
मांग संख्या - 21					
(सड़कें एवं पुल)					
3054. सड़क तथा सेतु Roads and Bridges	53,12	..	53,12
योग (Total)	53,12	..	53,12
मांग संख्या - 23					
(श्रम और रोजगार)					
2230. श्रम तथा रोजगार Labour and Employment	1,67	..	1,67
6250. अन्य समाज सेवाओं के लिए कर्ज Loans for other Social Services	..	1	1
योग (Total)	..	1	1,67	..	1,68

अनुसूची
THE SCHEDULE

वर्ष 2017-2018 के लिये अनुपूरक विनियोगों और अनुदानों के लिये मांगों की अनुसूची
(प्रथम संकलन)

(SCHEDULE OF SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS AND APPROPRIATIONS FOR THE YEAR 2017-2018)(First Batch)

सेवाएं और प्रयोजन Services and Purposes	(देखिये धारा 2 और 3) (See Section 2 and 3)				(रुपये सहस्र में) (Rupees in thousand)
	अनुपूरक विनियोग राशि जो निम्नलिखित से अधिक नहीं है Supplementary Appropriation not exceeding				
	दत्तमत Voted		प्रभूत Charged		योग Total
	राजस्व Revenue	पूँजी Capital	राजस्व Revenue	पूँजी Capital	
1	2				
मांग संख्या - 24					
(शिक्षा, कला एवं संस्कृति)					
2202. सामान्य शिक्षा General Education	5	..	39,12,08	..	39,12,13
2203. तकनीकी शिक्षा Technical Education	35,66	..	35,66
2205. कला एवं संस्कृति Art and Culture	30	..	30
4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture	..	2	2
योग (Total)	5	2	39,48,04	..	39,48,11
मांग संख्या - 26					
(चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई)					
6210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य के लिए कर्ज Loans for Medical and Public Health	..	1	1
योग (Total)	..	1	1
मांग संख्या - 27					
(पेय जल योजना)					
2215. जल पूर्ति तथा सफाई Water Supply and Sanitation	1,32,93	..	1,32,93
4215. जल पूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय Capital Outlay on Water Supply and Sanitation	..	1	1
योग (Total)	..	1	1,32,93	..	1,32,94

अनुसूची
THE SCHEDULE

वर्ष 2017-2018 के लिये अनुपूरक विनियोगों और अनुदानों के लिये मांगों की अनुसूची
(प्रथम संकलन)

(SCHEDULE OF SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS AND APPROPRIATIONS FOR THE YEAR 2017-2018)(First Batch)

सेवाएं और प्रयोजन Services and Purposes	(देखिये धारा 2 और 3) (See Section 2 and 3)				(रुपये सहस्र में) (Rupees in thousand)
	अनुपूरक विनियोग राशि जो निम्नलिखित से अधिक नहीं है Supplementary Appropriation not exceeding				
	दत्तमत Voted	प्रभूत Charged		योग Total	
	राजस्व Revenue	पूँजी Capital	राजस्व Revenue	पूँजी Capital	
1	2				
मांग संख्या - 29					
(नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास)					
2217. शहरी विकास Urban Development	5,47,63,54	5,47,63,54
4217. शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय Capital Outlay on Urban Development	..	1,30,20,00	1,30,20,00
6217. शहरी विकास के लिए कर्ज़ Loans for Urban Development	..	2	2
योग (Total)	5,47,63,54	1,30,20,02	6,77,83,56
मांग संख्या - 30					
(जनजाति क्षेत्रीय विकास)					
2401. फसल कृषि-कर्म Crop Husbandry	11	11
2700. मुख्य सिंचाई Major Irrigation	10,50	..	10,50
4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture	..	2	2
4215. जल पूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय Capital Outlay on Water Supply and Sanitation	..	1	1
4853. अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय Capital Outlay on Non-Ferrous Mining and Metallurgical Industries	..	1	1
योग (Total)	11	4	10,50	..	10,65

अनुसूची
THE SCHEDULE

वर्ष 2017-2018 के लिये अनुपूरक विनियोगों और अनुदानों के लिये मांगों की अनुसूची
(प्रथम संकलन)

(SCHEDULE OF SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS AND APPROPRIATIONS FOR THE YEAR 2017-2018)(First Batch)

सेवाएं और प्रयोजन Services and Purposes	अनुपूरक विनियोग राशि जो निम्नलिखित से अधिक नहीं है Supplementary Appropriation not exceeding				योग Total
	दत्तमत Voted		प्रभूत Charged		
	राजस्व Revenue	पूँजी Capital	राजस्व Revenue	पूँजी Capital	
	1		2		
मांग संख्या - 33 (सामाजिक सुरक्षा और कल्याण)					
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण Social Security and Welfare	1	..	42,87	..	42,88
योग (Total)	1	..	42,87	..	42,88
मांग संख्या - 34 (प्राकृतिक आपदाओं से राहत)					
2245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत Relief on account of Natural Calamities	6,03,30,00	6,03,30,00
योग (Total)	6,03,30,00	6,03,30,00
मांग संख्या - 37 (कृषि)					
2401. फसल कृषि-कर्म Crop Husbandry	31	31
4401. फसल कृषि कर्म पर पूँजीगत परिव्यय Capital Outlay on Crop Husbandry	..	1	1
योग (Total)	31	1	32
मांग संख्या - 39 (पशुपालन एवं चिकित्सा)					
2403. पशु-पालन Animal Husbandry	16	16
4403. पशु-पालन पर पूँजीगत परिव्यय Capital Outlay on Animal Husbandry	..	2	2
योग (Total)	16	2	18

अनुसूची
THE SCHEDULE

वर्ष 2017-2018 के लिये अनुपूरक विनियोगों और अनुदानों के लिये मांगों की अनुसूची
(प्रथम संकलन)

(SCHEDULE OF SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS AND APPROPRIATIONS FOR THE YEAR 2017-2018)(First Batch)

		(देखिये धारा 2 और 3) (See Section 2 and 3)		(रुपये सहस्र में) (Rupees in thousand)		
		अनुपूरक विनियोग राशि जो निम्नलिखित से अधिक नहीं है Supplementary Appropriation not exceeding				
सेवाएं और प्रयोजन Services and Purposes	1	दत्तमत Voted		प्रभूत Charged		योग Total
		राजस्व Revenue	पूँजी Capital	राजस्व Revenue	पूँजी Capital	
		2				
मांग संख्या - 43						
(खनिज)						
2853.	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग Non ferrous Mining and Metallurgical Industries	3	3
4853.	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय Capital Outlay on Non-Ferrous Mining and Metallurgical Industries	..	1	1
योग (Total)		3	1	4
मांग संख्या - 46						
(सिंचाई)						
2700.	मुख्य सिंचाई Major Irrigation	4,97	..	4,97
2701.	मध्यम सिंचाई Medium Irrigation	4,23,47	..	4,23,47
4700.	मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय Capital Outlay on Major Irrigation	17,29	17,29
योग (Total)		4,28,44	17,29	4,45,73
मांग संख्या - 51						
(अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना)						
2401.	फसल कृषि-कर्म Crop Husbandry	12	12
4202.	शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture	..	2	2

अनुसूची
THE SCHEDULE

वर्ष 2017-2018 के लिये अनुपूरक विनियोगों और अनुदानों के लिये मांगों की अनुसूची
(प्रथम संकलन)

(SCHEDULE OF SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS AND APPROPRIATIONS FOR THE YEAR 2017-2018)(First Batch)

		(देखिये धारा 2 और 3) (See Section 2 and 3)		(रुपये सहस्र में) (Rupees in thousand)		
		अनुपूरक विनियोग राशि जो निम्नलिखित से अधिक नहीं है Supplementary Appropriation not exceeding				
सेवाएं और प्रयोजन Services and Purposes	1	दत्तमत Voted		प्रभूत Charged		योग Total
		राजस्व Revenue	पूँजी Capital	राजस्व Revenue	पूँजी Capital	
		2				
4215.	जल पूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय Capital Outlay on Water Supply and Sanitation	..	1	1
4225.	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्प संख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय Capital Outlay on Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities	..	1	1
4853.	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय Capital Outlay on Non-Ferrous Mining and Metallurgical Industries	..	1	1
योग (Total)		12	5	17
योग-समेकित निधि(Total Consolidated Fund)		11,86,42,20	1,30,20,23	77,36,99	17,29	13,94,16,71

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक, इसके साथ संलग्न अनुसूची के अनुसार, 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिए राज्य की समेकित निधि पर प्रभारित व्यय की और विधान सभा द्वारा किये गये अनुदानों की पूर्ति के लिए अपेक्षित धनराशियों का, उक्त समेकित निधि में से विनियोजन किये जाने का उपबन्ध करने के लिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के साथ पठित उसके अनुच्छेद 204 (1) के अनुसरण में, पुरःस्थापित किया जाता है।

वसुन्धरा राजे,
प्रभारी मंत्री।

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Bill is introduced in pursuance of Article 204(1) of the Constitution of India read with Article 205 thereof to provide for the appropriation out of the Consolidated Fund of the State of the moneys required to meet the expenditure charged on the Consolidated Fund and the grants made by the Legislative Assembly for the financial year 2017-2018 ending on the 31st day of March, 2018 as per Schedule appended to the Bill.

वसुन्धरा राजे,
Minister Incharge.

संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) और (3) के अधीन राज्यपाल महोदय की सिफारिश

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) और (3) के प्रसंग में, मैं इसके द्वारा राजस्थान विनियोग (सं. 3) विधेयक, 2017 को राजस्थान विधान सभा में प्रस्तुत तथा प्रस्तावित किये जाने और उक्त विधान सभा द्वारा उस पर विचार किये जाने की सिफारिश करता हूँ।

राजस्थान विधान सभा
RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

वित्तीय वर्ष 2017-2018 की सेवाओं के लिए राज्य की समेकित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोजन को प्राधिकृत करने के लिए विधेयक।

A
Bill

to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State for the services of the financial year 2017-2018.

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)
(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

पृथ्वी राज,
सचिव।

PRITHVI RAJ,
Secretary.

(वसुन्धरा राजे, प्रभारी मंत्री)
(VASUNDHARA RAJE, Minister Incharge)